संख्या-234/2025/1395/003-23-6099/40/2025

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक** 24-06-2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के कतिपय जनपदों के 12 चालू कार्यों पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र(तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 12 चालू कार्य पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 6491.34 लाख (रूपये चौसठ करोड इक्यानबे लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियंता (मु0-1) के पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	क्षेत्र से मांग	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14624/CE-HQ1/DHARMARTH/ALI/2025-26 Dt- 16-06-2025	प्रा.ख. हाथरस	सादाबाद जलेसर मार्ग से चन्द्रकाली माता मन्दिर मार्ग का चौडीकरण एवं सुदीकरण का कार्य।	157/2025/918/001-23-6099/88/2025 /दिनांक- 30-03-25	153.72 153.72 20.48 133.24	11.58	45.00	45.00
2	14660/CE-HQ1/DHARMARTH/AZM/2025-26 Dt- 16-06-2025	प्रा.ख. बलिया	धर्मार्थ योजनान्तर्गत जनपद बलिया में गाजीपुर तुर्तीपार मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-108) नगरा (चैनेज 59.500) से खनवर नवादा में खाकी बाबा धाम तक मार्ग (कुल लम्बाई 18.10 किमी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	146/2025/904/23-6099/21/2025 /दिनांक- 29-03-2025	22258.49 22258.49 2.40 22256.09	1440.00	1500.00	1500.00
3	14661/CE-HQ1/DHARMARTH/ADY/2025-26 Dt- 16-06-2025	प्रा.ख. अमेठी	मुसाफिरखाना धरौली नन्दौर मठा रामपुर मझगवा पलिया चन्दापुर मार्ग के चैनेज 1.70 से 1.90 तक चैड़ीकरण एवं चैनेज 1.90 से 2.80, 13.10 से 13.20 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (महावीरन मन्दिर ग्राम धरौली चन्दापुर मार्ग पर चन्दापुर ग्राम के पास तक)	92/2025/679/001-23-6099-099-59-2025,दि-07.03.2025/दिनांक-07-03-2025	190.26 190.26 20.35 169.91	2.21	100.00	100.00
4	14706/CE-HQ1/DHARMARTH/LKO/2025-26 Dt- 17-06-2025	नि.ख.-1 रायबरेली	ऊंचाहार खरौली मार्ग का चैडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	167/2025/928/001-23-6099(099)/109/2025 /दिनांक- 31-03-2025	1918.55 1918.55 281.09 1637.46	1.00	800.00	800.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5	14710/CE-HQ1/DHARMARTH/ALI/2025-26 Dt- 17-06-2025	प्रा.ख. एटा	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अलीगंज कम्पिल मार्ग पर चौड़ीकरण का कार्य।	108/2025/758/001-23-6099-099-41-2025/दिनांक- 17-03-2025	1388.74 1388.74 317.00 1071.74	10.37	500.00	500.00
6	14711/CE-HQ1/DHARMARTH/GON/2025-26 Dt- 17-06-2025	प्रा.ख. श्रावस्ती	कटरा टाउन मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.00 से चेनेज 2.200 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	165/2025/924/001-23-6099-099-116-2025/दिनांक- 31-03-2025	781.33 752.00 29.02 722.98	7.85	376.15	376.15
7	14705/CE-HQ1/DHARMARTH/GKP/2025-26 Dt- 17-06-2025	प्रा.ख. महराजगंज	जनपद महाराजगंज में चौक से सोनाड़ी माता स्थान होते हुए रामग्राम तक अ0जि0मा0 में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि0मी0	61/2024/आई/507408/2024/23-11099(099)/171/2024/दिनांक- 28-02-2024	2122.59 2122.59 427.66 1694.93	1485.81	100.00	100.00
8	14623/CE-HQ1/DHARMARTH/GKP/2025-26 Dt- 16-06-2025	नि.ख.-2 गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 सोनौली -नौतनवा-गोरखपुर मार्ग पर धर्मषाला पुल से निकलकर जटाषंकर तिराहा, अलीनगर चैराहा, बक्सीपुर चैराहा, रेती चैक, घण्टाघर होते हुए पाण्डेहाता चैराहा तक मार्ग का 02 लेन विथ पेव्ड शोल्डर में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 3.500 किमी0) का कार्य।	93/2024/प्ष्[518905/2024/23-11099(099)/10/2024, दिनांक-13.03.2024	55556.78 55556.78 29843.77 25713.01	20929.87	2000.00	2000.00
9	14741/CE-HQ1/DHARMARTH/BAS/2025-26 Dt- 19-06-2025	प्रा.ख. बस्ती	जनपद बस्ती0 में परसरामपुर श्रीनगर (गोण्डा बार्डर) मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 0.00 से 10.37 किमी0 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	51/2025/2195/23-4099(099)/147/2024/दिनांक- 04-02-2025	1908.86 1908.86 43.69 1865.17	854.43	451.18	451.18
10	तदैव	प्रा.ख. बस्ती	परसा परसरामपुर से श्रृगीनारी, बैजलपुर, धुनियाभीटी, बिछनैया, जगन्नाथपुर कडसरा बिलारीभौटी, नरायपुर से मडरिया स्वामी नारायण छपिया स्थल तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	78/2025/655/001-23-6099-099-13-2025/दिनांक- 06-03-2025	1765.96 1765.96 24.07 1741.89	832.98	386.34	386.34
11	तदैव	प्रा.ख. बस्ती	जनपद बस्ती में प्रभु श्रीराम के पुत्रेष्टि यज्ञ स्थल मखौडा धाम बेरता, करिबहना से चौरी नन्द नगर होते हुए नेवादा गोण्डा बार्डर तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	156/2025/917/001-23-6099-93-2025/दिनांक- 30-03-2025	745.40 745.40 12.02 733.38	358.75	154.16	154.16
12	तदैव	प्रा.ख. संतकबीरनगर	संतकबीरनगर में गिरधरपुर से तामेश्वर धाम शिवमन्दिर होते हुए एन0एच0-328ए तक मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	177/2025/939/001-23-6099-099-127-2025/दिनांक- 31-03-2025	805.26 805.26 18.93 786.33	0.12	78.51	78.51
							कुल योग	**6491.34**

(रूपये चौसठ करोड इक्यानबे लाख चौंतीस हजार मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गतआदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों के समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के आनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 64,91,34,000 (रुपये चौंसठ करोड़ इक्यानबे लाख चौंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371200 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन ।

2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-4/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।

12- राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र0 शासन।

13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

14- लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ०प्र० शासन।

15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।

16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।